सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

अन्याय को समाप्त करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5, नियम 19क में, जो समन की रजिस्ट्री डाक से तामील से संबंधित है, संशोधन की आवश्यकता

विषय पर

140वीं रिपोर्ट

1991

फोन : 384475 कार्या०
भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001.
अप्रैल 19, 1991

न्यायाधिपति एम०पी० ठक्कर

अध्यक्ष

अ०श०सं० 7(7)/91—वि०आ० (एम०एस०)

प्रिय मंत्री महोदय,

संदर्भ: 140वीं रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

भारत सरकार के विधि आयोग की निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत रिपोर्ट संलग्न है:—

"अन्याय को समाप्त करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5, नियम 19क में संशोधन की आवश्यकता, जो समन को रजिस्ट्री डाक से तामील से संबंधित है।"

सादर,

भवदीय,

(ह०)

(एम०पी० ठक्कर)

डा० सुब्रमण्यम स्वामी,
विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली 1

संलग्न : 140वीं रिपोर्ट।

विषय सूची

पृष्ठ

अध्याय 1 :	प्रारंभिक	
अध्याय 2 :	1976 से पूर्व के तथ्य	
अध्याय 3 :	1976 का संशोधन	
अध्याय 4 :	वर्तमान विधि से उत्पन्न कठिनाई	
अध्याय 5 :	अधिकारिता के बाहर निवास करने वाला प्रतिवादी	
अध्याय 6 :	सिफारिशें	

टिप्पण और उद्धरण

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1.1. परिप्रेक्ष्य.—भारत के विधि आयोग ने, यह अनुभव होने पर कि रजिस्ट्री डाक द्वारा समन की तामील से संबंधित उपबंधों को क्रियान्वयन करने से न्याय की हत्या होती है, इन उपबंधों की बाबत आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर स्वतः विचार किया है।

1.2. समस्या.—समस्या के संक्षिप्त विवरण के रूप में यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 19 (क) के अन्तर्गत न्यायालय से यह अपेक्षा की गई है कि वह, वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त, डाक द्वारा तामील के लिए भी समन निकाले। जहां तक कि डाक द्वारा समन की तामील का संबंध है, समन रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाता है, और यह उपबंध किया गया है कि एक बार प्रतिवादी (या अभिकर्ता) द्वारा हस्ताक्षर किए गए रूप में तात्पर्यित अभिस्वीकृति न्यायालय को प्राप्त हो जाती है अथवा वह समन सहित डाक वस्तु न्यायालय को, इस पृष्ठांकन के साथ कि संबोधित व्यक्ति ने परिदान लेने से इंकार कर दिया है, वापस प्राप्त हो जाती है वहां न्यायालय यह "घोषित करेगा" कि समन सम्यक रूप से तामील कर दिया गया है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 के नियम 19 (क) में समन के रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील की बाबत विधि के कार्यकरण से जो अनुभव हुआ है उससे यह प्रकट हुआ है कि ऐसे अनेक उदाहरण है जहां मुकदमे के पक्षकारों के प्रति अन्याय हुआ है क्योंकि संबंधित उपबंध का यह प्रभाव कि यदि ऐसी वस्तु "इंकार किया गया" पृष्ठांकन के साथ वापस प्राप्त होती है तो न्यायालय यह घोषणा करने के लिए बाध्य होगा कि समन की सम्यक रूप से तामील कर दी गई है। न्यायालय के पास कोई विकल्प भी नहीं रहता क्योंकि उपबंध में यह बाध्यकर है कि एसी घोषणा की जाए। आगे अध्याय 4 में चर्चित ऐसे अनेक उदाहरण प्रकाश में आए है जहां किसी गैर-इमानदार डाकिए ने बेईमानी के कारण ऐसा पृष्ठांकन कर दिया हो या किसी असावधान डाकिए ने किसी गलत व्यक्ति को या संबोधित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को वह वस्तु दी हो और उसने उस वस्तु को ग्रहण करने से इंकार कर दिया हो। परिणामस्वरूप, इस बाध्यकर घोषणा के कारण कि संबंधित व्यक्ति पर समन सम्यक रूप से तामील कर दिया गया है उसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई हो और उस पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो जिसकी क्षतिपूर्ति न हो सके।

1.3. आयोग ने न्याय के हित की अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से यह उचित समझा है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि उस उपबंध को किस प्रकार से नया रूप दिया जाए जिससे कि संभावित अन्याय को रोका जाए तथा भ्रांति के अवसर कम हों और साथ ही न्यायालय के निर्विवाद और शीघ्र निष्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े।

1.4. **आदेश 5, नियम 19 क में अंतर्विष्ट वर्तमान विधि**—सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 का नियम 19 क (2) निम्नलिखित प्रकार से है:—

"19 क (1) वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के किए साथ-साथ समन निकाला।

(2) जहां न्यायालय प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहां न्यायालय समन वाली डाक वस्तु को डाकिए के ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस करता है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने उसे निविदत्त किए जाने पर ग्रहण करने से इंकार कर दिया था तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन की प्रतिवादी पर सम्यक् रूप से तामील की गई थी।"

(रेखांकित पर ध्यान आकर्षित है)

1.5. **आज्ञापक घोषणा के कारण होने वाली कठिनाइयां**.—आदेश 5 के नियम 19 क (2) के अधीन आज्ञापक घोषणा के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और बेईमान डाकियों की सहायता से की जाने वाली धोखाधड़ी के कारण अथवा ईमानदार डाकियों की ओर से चूक या भूल के कारण, जिसने किसी गलत व्यक्ति को

वस्तु दे दी हो, जैसा कि पश्चात्वर्ती अध्यायों में विस्तार से बताया जाएगा, अन्याय होने की संभावनाओं का मार्ग खुल गया है।

1.6. अतः इसका लक्ष्य इस पृष्ठभूमि में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित सिफारिशें करना तथा मुकदमों के अभागे पक्षकारों को होने वाले संभावित अन्याय पर, जैसा अध्याय 4 में वर्णित मामलों से दृष्टिगोचर होगा, रोक लगाना है।

अध्याय 2

1976 से पूर्व के प्रबंध

2.1. **संहिता के अधीन समन के तामिल की पद्धति**.—सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 9 में (जिस रूप में वह मूल रूप से अधिनियमित किया गया था) सम्मिलित स्कीम में बुनियादी रूप से प्रतिवादी पर समनों की वैयक्तिक तामील का उपबंध है। उस आदेश के नियम 5 से नियम 16 तक अधिकांशतः वैयक्तिक तामील से संबंधित हैं। नियम 17 में उपबंध है कि जहां प्रतिवादी समन ग्रहण करने से इन्कार करता है वहां तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगा देगा। तत्पश्चात् तामील करने वाला अधिकारी मूल समन को न्यायालय को ऐसी रिपोर्ट के साथ लौटाएगा जिसमें यह कथित होगा कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण तामील समुचित रूप से नहीं की जा सकती थी। नियम 19 उस दशा के लिए उपबंध करता है जहां समन नियम 17 के उपबंधों के अधीन लौटा दिया जाता है। न्यायालय तामील करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् तथा, यदि आवश्यक हो, तो तामील अधिकारी की जांच करने के पश्चात् भी, यह घोषणा करने के लिए कि तामील पर्याप्त है अथवा नए समन जारी करने के लिए सशक्त है।

2.2. **रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील**.—समन की तामील की एक अनुज्ञेय पद्धति के रूप में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील का उपबंध प्रारंभ में संहिता के आदेश 5 में स्थानीय संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। 1956 में (आदेश 5, नियम 20क) ऐसी तामील एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा अनुज्ञात की गई थी जिसके द्वारा संहिता में संशोधन किया गया था। किंतु वह आज्ञापक नहीं थी। रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील का प्रतिग्रहण करने से इन्कार का परिणाम (1956 के संशोधन के अधीन भी) यह नहीं था कि न्यायालय ऐसी आज्ञापक घोषणा कर देगी कि तामील पर्याप्त थी। ऐसा 1976 में हुआ कि विधि द्वारा, वैयक्तिक तामील के लिए समन जारी करने के साथ साथ, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन की तामील का निदेश देते समय यह आदेश भी दिया गया कि न्यायालय यह घोषणा करेगा कि जहां "डाक वस्तु" (अर्थात्, समन सहित लिफाफा) न्यायालय के पास इंकार के पृष्ठांकन के साथ वापस आता है वहां न्यायालय यह घोषणा भी करेगा कि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील पर्याप्त तामील है।

2.3. **आदेश 5 नियम 9 का मद्रास संशोधन**.—2/1 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कुछ राज्यों में स्थानीय संशोधनों द्वारा रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील को तामील की अनुज्ञेय पद्धति बनाया गया था। उदाहरण के लिए, मद्रास में, 1951 में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को प्रथम समन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजने का उपबंध करने के लिए नियम 9(3) सम्मिलित किया था। उक्त उपनियम निम्नलिखित प्रकार से था :—

> "(3) जहां प्रतिवादी भारत में निवास करता है, चाहे वह उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर हो जिसमें वाद संस्थित किया गया है या बाहर, वहां न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह निदेश दे सकेगा कि वह इस आदेश के अधीन समन प्रतिवादी को उस स्थान पर संबोधित करे जहां वह मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए काम करता है तथा उसे पूर्व संदत्त रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे। प्रतिपक्षी द्वारा हस्ताक्षरित तात्पर्यित रसीद ऐसे समन की तामील पर्याप्त रूप से समझी जाएगी।"

2.4. **इंकारी का प्रभाव (मद्रास संशोधन)**.—2/2रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गए समन की इंकारी का मद्रास संशोधन के अधीन प्रभाव पर मद्रास के एक मामले में विचार किया गया था। मद्रास संशोधन का नियम 9(3) विवाधक था। निर्देशकर्ता न्यायाधीश न्यायधिपति श्री गणपति पिल्ले का यह मत था कि तामील के ग्रहण से

इंकार का वही प्रभाव है जो उस सूचना के इंकार का है जो वैयक्तिक रूप से निविदत्त की जाती है। न्यायाधिपति ने अपने मत के समर्थन में जो कारण बताए हैं उनमें से एक कारण यह है कि यदि इस प्रकार का अर्थ स्वीकार नहीं किया जाता तो नियम 9 (3) (मद्रास संशोधन द्वारा अंत:स्थापित) निरर्थक हो जाएगा। तथापि, उस खंड पीठ ने, जिसे निर्देश किया गया था, इस अर्थान्वय को स्वीकार नहीं किया। 2/3 उसने यह निर्णय दिया कि (मद्रास संशोधन के अधीन) डाक द्वारा तामील को ग्रहण करने से प्रतिवादी द्वारा इंकार को सम्यक सेवा के समतुल्य नहीं समझा जा सकता था और उससे न्यायालय को उसके आधार पर एक-पक्षीय डिक्री पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। खंडपीठ ने विनिर्दिष्ट रूप से इस संभावना का उल्लेख किया कि दिलचस्पी न रखने वाले अथवा बेईमान डाकिये प्रतिवादी के पास जाए बिना भी रजिस्ट्री पत्र को "इंकार किया गया" के रूप में लौटा सकता था और न्यायालय का उसके ऊपर कोई प्रभावी अंकुश या नियंत्रण नहीं हो सकता था।

2.5. **मद्रास मामले पर टीका-टिप्पणी**.—इस विषय पर उपर्युक्त मद्रास मामले में पर्याप्त विचार किया गया था और न्यायालय ने निर्णय के पैरा 7 में सही स्थिति निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की थी 2/4

(जहां तक न्यायालय का संबंध मद्रास के संशोधन से था)

"रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील को केवल तब सम्यक तामील माना जा सकता है जब पक्षकार उसका उत्तर देता है अथवा इस प्रकार तामील किए गए समन की प्राप्ति को कम से कम अभिस्वीकार तो करता है। डाक द्वारा तामील के प्रभाव को केवल तामील के रूप में स्वीकार करने का मामला मानने के पीछे ठोस कारण है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह बात असंभव है कि दिलचस्पी न रखने वाला या बेईमान डाकिया प्रतिवादी के पास जाए बिना भी रजिस्ट्री पत्र को इंकार किए गए के रूप में वापस कर सकता है। ऐसी दशा में न्यायालय के पास उसके ऊपर कोई प्रभावी अंकुश या नियंत्रण नहीं होगा। एक बात और कि वह व्यक्ति जो डाकिये द्वारा पत्र को निविदत्त करने से चूक करने के विरुद्ध शिकायत कर सकता है स्वयं प्रतिवादी है और उसे डाकिये के कदाचार की जानकारी भी नहीं होगी; दूसरा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा जिसे न्यायालय के समक्ष शिकायत करने में दिलचस्पी हो। दूसरी बात यह कि न्यायालय का डाकिये पर तामील की बाबत कोई ऐसा प्रभावी अधीक्षण नहीं है जैसा कि उसे अपने तामील कर्ताओं के ऊपर है। डाक द्वारा तामील के प्रभावी होने के बारे में इस प्रकार असम्यक् रूप से निर्भर रहने से समन की तामील में धोखा-धड़ी को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। यह नियम इस बात को बाध्यकर बनाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 19 के अधीन प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व वैयक्तिक सेवा का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि प्रतिवादी डाक द्वारा तामील को ग्रहण नहीं करता है तो न्यायालय के पास इसके सिवाए कोई विकल्प नहीं होगा कि वह समन अपने तामीलकर्ताओं के माध्यम से भेजे। यही श्री न्यायाधिपति पंचपकेस अय्यर ने 1958-2 मद्रास ला जर्नल 143 :(ए. आई. आर. 1958 मद्रास 522) में मुख्य न्यायाधिपति राजामन्नार द्वारा दिए गए 1956-2 मद्रास ला जर्नल 86 के पूर्वतर विनिश्चय का अनुसरण करते हुए प्रकट किया था।"।

2.6. **कर्नाटक संशोधन**.—कर्नाटक राज्य में का संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 10 में जोड़े गए परंतुक के रूप में था। नियम 10 में यह उपबंध है कि समन की तामील, उसकी एक प्रति को देकर या निविदत्त करके, न्यायाधीश द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए गए पृष्ठांकन द्वारा की जाएगी।

(1976 में प्रभावी किए गए) कर्नाटक संशोधन 2/5 द्वारा नियम 10 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया था—

"परंतु, किसी मामले में, न्यायालय या तो स्वत: अथवा वादी के आवेदन पर, या तो प्रथम अवसर पर ही, या तब जब अंतिम बार निकाला गया समन बिना तामील वापिस किया जाता है, समन की तामील इस नियम में अधिकथित पद्धति से करने के स्थान पर पूर्व संदत्त रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा करने का निदेश दे सकेगा। प्रतिवादी के हस्ताक्षर युक्त तात्पर्यित डाक-अभिस्वीकृति उस तारीख को, जिसको वह प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित तात्पर्यित है, उस पर समन की पर्याप्त तामील का प्रथमदृष्टया सबूत समझा जाएगा। यदि डाक-लिफाफा बिना तामील वापिस किया जाता है तो परिदान करने वाले चपरासी या डाक विभाग के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया गया तात्पर्यित पृष्ठांकन उसमें अंतर्विष्ट कथन का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा।"

2.7. **राजस्थान संशोधन.**—राजस्थान में, 1954 में, आदेश 5, नियम 10 में एक परंतुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा गया था :

"परंतु, किसी मामले में, न्यायालय समन को प्रतिवादी को, स्वविवेकानुसार, इस नियम में अधिकथित तामील की पद्धति के अतिरिक्त, रजिस्ट्री डाक से भेज सकेगा। प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति को अथवा डाक सेवक के इस पृष्ठांकन को कि प्रतिवादी ने परिदान ग्रहण करने से इंकार किया है, समन निकालने वाला न्यायालय तामील का प्रथमदृष्टया सबूत मान सकेगा।" 2/6

तथापि, इन संशोधनों की उपयोगिता सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम) द्वारा आदेश 5, नियम 19क के अंतःस्थापित किए जाने के पश्चात् समाप्त हो गई है।

2.8. **आदेश 5, नियम 20क.**—जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है 2/7, आदेश 5, नियम 20क एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा (जो संहिता में संशोधन करता है) संहिता में 1956 में अंतःस्थापित किया गया था, जिसके द्वारा न्यायालय को डाक से तामील का आदेश करने का विवेकाधिकार दिया गया था। इस नियम ने भी रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील को आज्ञापन नहीं बनाया था, किंतु इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया था। ऐसी तामील का सहारा केवल तब लिया जाना था जब, किसी भी कारणवश, समन तामील किए बिना वापिस कर दिया गया हो।

2.9. **1976 से पूर्व के संशोधन का प्रभाव.**—इस बात को दोहराना आवश्यक है कि 1976 से पूर्व किए गए स्थानीय या अन्य) किन्हीं भी संशोधनों में, जो न्यायालय द्वारा निकाले गए समन की रजिस्ट्री डाक से तामील की बाबत है, ऐसा कोई आज्ञापक उपबंध नहीं था जो न्यायालय को यह घोषणा करने का निदेश दे कि (रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गए और इंकारी के पृष्ठांकन के साथ वापिस आए) समन प्रतिवादी पर सम्यक् रूप से तामील किए गए थे। यहां तक कि नियम 20क में भी (जिसे एक पारिणामिक संशोधन के रूप में निकाल दिया गया है) ऐसा उपबंध नहीं किया गया है। 1976 के संशोधन 2/8 ने यह स्थिति उत्पन्न की है।

अध्याय 3

1976 का संशोधन

3.1. **विधि आयोग की सिफारिश.**—संहिता में आदेश 5 के नियम 19क का उपबन्ध 1976 के संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप 1 फरवरी, 1977 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया। तथापि 1976 में किया गया संशोधन एक महत्वपूर्ण बात में भारत के विधि आयोग द्वारा इस विषय पर उसकी रिपोर्ट में की गई सिफारिश से भिन्न है। विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में अपनी 54वीं रिपोर्ट में रजिस्ट्री डाक से समय की तामील की बाबत उपबन्ध अन्तःस्थापित करने की सिफारिश (आयोग की 14वीं और 27वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्) की थी। किंतु विधि आयोग ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में पृष्ठ 46 और 47 पर जो सिफारिश की थी उसमें संशोधनों का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार से था :

"19क (1) न्यायालय नियम 9 से नियम 19 तक में उपबंधित रीति से तामील करने के लिए समन निकालने के साथ ही साथ यह भी निदेश देगा कि समन की तामील प्रतिवादी को, या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर की जाए जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है :

परंतु जहां मामले की परिस्थितियों में न्यायालय इसे अनावश्यक समझता है वहां इस उपनियम की कोई बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करने के लिए समन निकाले।

(2) जहां न्यायालय प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहां न्यायालय उसे ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस प्राप्त करता है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने उसे ग्रहण करने से इंकार कर दिया था तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा कर सकेगा कि समन की सम्यक रूप से तामील की गई थी।

3.2. **1974 का विधेयक.**—विधि आयोग ने 27 वीं रिपोर्ट में की गई पूर्वोक्त सिफारिश का पुनः समर्थन 54 वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 124, पैरा 57 (फरवरी, 1973) में किया था। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 संसद् में अप्रैल, 1974 में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक में उसी रूप में नियम 19क को अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव था जिस रूप में उसकी सिफारिश विधि आयोग ने की थी। 1974 के संशोधन विधेयक में तामील की उपधारणा को आज्ञापक नहीं बनाया गया था क्योंकि उसमें भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश का अनुसरण किया गया था जिसमें यह प्रस्ताव था कि न्यायालय को स्वविवेक के प्रयोग का अधिकार दिया जाए। विधेयक के खंड 58 के उपखंड (1) को खंडों पर टिप्पण में, जो कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से उपाबद्ध था, निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया था :

"नया नियम 19क समनों को सामान्य रीति से और डाक द्वारा साथ साथ तामील करने के लिए उपबन्ध करने के लिए अंतःस्थापित किया जा रहा है।"

3.3. **संयुक्त समिति की रिपोर्ट.**—जब संयुक्त समिति ने विधेयक की परीक्षा की तो उसकी टिप्पणियां निम्नलिखित रूप में थी :

"खंड 55 (iii)—.समिति का यह विचार है कि यह स्थापित करने के लिए कि प्रतिवादी पर समन सम्यक् रूप से तामील किया गया है, डाक द्वारा तामील के लिए समन साथ ही साथ रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा जारी किए जाने चाहिए। प्रस्तावित नए नियम 19क के उपनियम (1) का तदनुसार संशोधन किया गया है।

[का० आ० नि० (भारत का राजपत्र; 1-4-1976; भाग 2; अनुभाग 2; असाधारण; पृष्ठ 804; 12) (संदर्भ ए० आई० आर० मैनुअल; 5 वां संशोधन; पृष्ठ 442)]

"खंड 55 (iv).—समिति ने यह भी अनुभव किया है कि रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील करने के लिए समन जारी करने की दशा में, यदि प्रतिवादी ने समन उसे निविदत्त किए जाने पर उसे ग्रहण करने से इंकार कर दिया है अथवा यह तथ्य कि खोजने या इधर उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुआ है तो न्यायालय को यह उपधारणा करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी पर समन की सम्यक् रूप से तामील की गई थी। प्रस्तावित नए नियम 19क के उपनियम (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है।" सं.स.रि. (भारत का राजपत्र; 1-4-1976 भाग 2; अनुभाग 2; असाधारण पृष्ठ 804/12) (संदर्भ ए०आई०आर० मैनुअल; 5 वां संस्करण; पृष्ठ 442)]।

संयुक्त समिति की सिफारिश को ठीक से पढ़ने पर यह प्रकट होता है कि आशय केवल यह था कि न्यायालय को यह घोषित करने की शक्ति भर दी जाए कि, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रस्तावित नियम 19क के अन्तर्गत आने वाली स्थिति में, तामील प्रभावी दी न कि न्यायालय पर कोई कर्तव्य अधिरोपित किया जाए।

3.4. **रिपोर्ट किए गए रूप में विधेयक.**—किंतु वास्तविक विधेयक, जैसा कि वह समिति की रिपोर्ट से उपाबद्ध था, ऐसी घोषणा को आज्ञापक बनाती है।

उस रिपोर्ट से उपाबद्ध विधेयक से एक अतिरिक्त परंतुक भी सम्मिलित किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उपर्युक्त घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो गई थी या इधर उधर हो गई थी या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई थी। संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक में कुछ अन्य छोटे परिवर्तन भी किए गए थे जो वर्तमान प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

3.5. **आदेश 5, नियम 19क की बाबत निर्णयजन्य विधि.**—सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 5; नियम 19क पुरः स्थापित करके 1976 में प्रभावी किए गए संशोधन की पुनःचर्चा करते हुए यह कहना पर्याप्त होगा कि न्यायालय को उपधारणा करनी होगी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रतिवादी पर आदेश 5 के नियम 19क (2) के अधीन एक बार तामील हो जाने की दशा में उसे पर्याप्त समझा जाएगा और वैयक्तिक तामील साबित करना आवश्यक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यद्यपि (जैसा नियम

में उपबन्ध किया गया है) वैयक्तिक सेवा के लिए समन निकालना होगा पर यह आवश्यक नहीं है कि वैयक्तिक पद्धति से की गई तामील सफल रही हो।

3.6. वादपत्र की प्रति.—कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह मत है कि रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील की गई सूचना को यदि समन माना जाता है तो उसके साथ वादपत्र का एक संक्षिप्त विवरण भेजा जाना चाहिए।

अध्याय 4

वर्तमान विधि से उत्पन्न कठिनाई

4.1. **वर्तमान उपबन्ध से उत्पन्न कठिनाई**—इस विषय पर निर्णयज विधि के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि आदेश 5 के नियम 19क के आज्ञापक और सुनिश्चित उपबन्ध के कारण, जिसमें न्यायालय से यह अपेक्षा की गई है कि उस नियम में उल्लिखित स्थिति में, यह घोषित करे कि समन सम्यक् रूप से तामील किया गया, गम्भीर कठिनाई हुई है। इस विषय पर सैंपल सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप संग्रह की गई निर्णय विधि आगे दी जा रही है। मोटे तौर पर समस्या उन मामलों में उत्पन्न हुई है जहां समन सहित रजिस्ट्री लिफाफा "इंकार किया गया" के पृष्ठांकन के साथ वापस आया है। ऐसे मामले में इस विधिक परिकल्पना के आधार पर कि (i) डाकिए ने लिफाफा वास्तव में निविदत्त किया है, और (ii) सम्बोधिती ने उसे ग्रहण करने से इंकार कर दिया, एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है। तदनन्तर, वह पक्षकार (जिसके बारे में यह कथित है कि उसने रजिस्ट्री पत्र ग्रहण करने से इंकार कर दिया है) न्यायालय को एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन करता है और प्रायः न्यायालय के पूर्ण समाधानप्रद रूप से यह साबित करने में असफल हो जाता है कि लिफाफा को निविदत्त करने का वास्तव में प्रयास नहीं किया गया था। यह स्पष्ट है कि यदि न्यायालय को प्रत्येक मामले में, मामले की विलक्षणता पर ध्यान दिए बिना, इंकारी के आधार पर उचित तामील की घोषणा करने का निदेश दिया जाता है तो कठिनाई पैदा हो सकती है और अन्याय का अवसर भी उत्पन्न हो सकता है।

4.2. **कुछ चुने हुए मामले**.—अब, तुलना में कुछ हाल ही के मामलों का उल्लेख करना सुविधाजनक होगा जो कि ऊपर उल्लिखित कठिनाई की संभावना का उदाहरण हैं।

4.3. **गुवाहाटी का मामला**.—4/3 पहला मामला जिसकी ओर ध्यान जाता है गुवाहाटी से है। इस मामले में, यह अभिकथित है कि प्रतिवादी ने समन लेने से इंकार कर दिया था। डाकिए ने यह गवाही दी कि उसने लिफाफा दिया किंतु प्रतिवादी (संबोधिती) ने उसे लेने से इंकार कर दिया। बेदखली के लिए एक पक्षीय डिक्री पारित की गई। प्रतिवादी ने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए किए गए आवेदन में इस बात पर बल दिया कि उसे कोई भी समन न तो डाक द्वारा न अन्यथा ही प्राप्त हुआ था और यह भी जोड़ दिया कि सुसंगत समय के दौरान वह असम से बाहर था और बिहार में अपने स्थायी निवास पर अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए रह रहा था। विचारण न्यायालय ने, जो इस आवेदन की सुनवाई कर रहा था, यह निर्णय दिया कि समन सम्यक् रूप से तामील नहीं किया गया था और एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कर दिया। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि, इस मामले में, इस बारे में विवाद था कि मूल वादी डाक से वापस प्राप्त हुए लिफाफे को खोलने के लिए न्यायालय से प्रार्थना करने के लिए और उस अवसर का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, कि समन जिस रूप में भेजा गया था वह वास्तव में मूल वाद से संबंधित था, बाध्य था अथवा नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया अतः उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आदेश 5 के नियम 19क (2) का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया था।

4.4. **कर्नाटक का मामला**.—कर्नाटक का एक मामला, 4/4 जो 1976 के संशोधन से प्रभावी प्रतीत होता है, ध्यान देने योग्य है। यह मामला धन की वसूली के लिए वाद से संबंधित था। संहिता (मैसूर में यथासंशोधित रूप में) के आदेश 5 के नियम 10 के अधीन, जो कुछ परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील की अनुज्ञा देता था, डाक द्वारा भेजे गए समन के आधार पर एक पक्षीय डिक्री पारित की गई थी।

4.5. **पंजाब और हरियाणा का मामला**.—4/6 पंजाब और हरियाणा का एक मामला भी सुसंगत है जिसमें न्यायालय द्वारा आदिष्ट तामील की पद्धति डाक द्वारा थी। इस मामले में पति ने पत्नी के विरुद्ध न्यायिक

पृथक्करण की डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए समन के आधार पर प्राप्त की थी जिसके बारे में यह अधिकथित था कि पत्नी ने उसे लेने से इंकार कर दिया था। पत्नी ने एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से पारित की गई डिक्री को अपास्त करने के पत्नी के अवेदन को खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि पत्नी ने समन को ग्रहण करने से (जो कि संभवतः डाक द्वारा भेजा गया) इंकार कर दिया था उस पर प्रतिस्थापित पद्धति, अर्थात्, समाचार पत्र में सूचना के प्रकाशन के आधार पर सम्यक् रूप से तामील कर दी गई थी। उच्च न्यायालय में की गई अपील पर एकल न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनेकों बार ऐसा होता है कि कोई पक्षकार डाकिए की झूठी रिपोर्ट (इंकार आदि के बारे में करने के लिए) प्राप्त कर लेता है। जहां तक प्रतिस्थापित पद्धति की बात है, उर्दू के समाचारपत्र में (जैसा कि इस मामले में किया गया था) सुनवाई की तारीख की सूचना को आदेश 5 के नियम 20 के अधीन अंतःस्थापित करने से कोई बात नहीं बनती क्योंकि हिंदू महिलाएं उर्दू का समाचारपत्र नहीं पढ़ती। लेटर्स पेटेंट के अधीन अपील में अपीली खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए निम्न प्रकार से अपना मत प्रकट किया :-

> "यदि, किसी विधिपूर्ण आधार पर, डाकिए की रिपोर्ट को भरोसेमंद नहीं माना जाता और उस पर विचार नहीं किया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्यर्थी पर वैयक्तिक तामील करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी पत्नी पर याचिका को वैयक्तिक रूप से तामील करने का विवाह-विषयक न्यायालय की ओर से कोई प्रयास न करने के अभाव में प्रतिस्थापित तामील का कोई लाभ नहीं होगा; विशेष रूप से उन कारणों से जो माननीय एकल न्यायाधीश ने दिए हैं।"

4.6. **राजस्थान का मामला.**—4/7 राजस्थान के एक मामले में यह प्रश्न हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाही में उठा था। पति ने पत्नी के जारकर्म के आधार पर तलाक मांगा था। समन (सूचना) बिना तामील हुए प्राप्त हुई थी। न्यायालय ने तब नए सिरे से तामील किए जाने का आदेश दिया और यह आदेश भी दिया कि पत्नी को रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिसों का एक दूसरा सैट भेजा जाए। रजिस्ट्री डाक से भेजी गई सूचनाएं "इंकार किया गया" की रिपोर्ट के साथ वापस कर दी गई। तब उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि तामील पर्याप्त थी और साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात्, तलाक के लिए एक पक्षीय डिक्री पारित की। पत्नी ने एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए अर्जी दी जिसमें यह अभिकथन किया कि उस पर समन तामील नहीं किए गए थे और रतगढ़ के उसके पते पर भेजे गए समन के इंकार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उस समय वह अपने पिता की बहन के पास दिल्ली में थी। इस विषय में साक्ष्य और तर्क अधिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय ने यह अधिनिर्णय दिया कि यह साबित नहीं हुआ है कि समन सम्यक् रूप से तामील नहीं किया गया था। इस मामले में, यह पता करने के लिए डाक विभाग के कर्मचारी की परीक्षा नहीं की गई कि पत्नी या उसके अभिकर्ता ने रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी गई सूचना सहित लिफाफा ग्रहण करने से इंकार किया था या नहीं ऐसे कुछ सुझाव दिए गए थे कि इंकार पिता ने किया था, किंतु यह स्पष्ट है कि पिता पत्नी का "अभिकर्ता" नहीं था। अतः न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए।

4.7. **मध्य प्रदेश का मामला.**—418 मध्य प्रदेश के एक मामले में पत्नी के विरुद्ध पारित की गई तलाक की एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में कुछ विवाद था कि पत्नी पर, जिसने एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन किया था, डाक द्वारा तामील से इंकार किया भी था या नहीं। उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा कि इस कथन के अतिरिक्त कि उसने लिफाफा ग्रहण करने से वास्तव में इंकार कर भी दिया था तब भी यह बात सुनवाई की तारीख के अवसान के पश्चात् की थी। अतः यह नहीं समझा जा सकता था कि उस पर समन तामील किया गया था। परिणाम यह था कि एक पक्षीय डिक्री अपास्त कर दी गई।

4.8. **श्री मुल्ला का मत.**—यह बताना वांछनीय होगा कि श्री मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता के 14वें संस्करण 4/9 के सम्पादक ने आदेश 5 के नियम 19 (क) की आज्ञापक उपधारणा से उत्पन्न होने वाली कठिनाई को अनुभव किया है। 14वें संस्करण में निम्नलिखित टिप्पणी दी गई हैं :-

> इस उपनियम के अधीन, डाक कर्मचारी का यह साधारण पृष्ठांकन कि रजिस्ट्री पैकिट प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता को निविदत किया गया था किंतु उसने इंकार कर दिया, तामील का पर्याप्त साक्ष्य बना

दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि समन उचित प्रकार से संबोधित किया गया है और रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजा गया है तो न्यायालय को यह घोषणा करनी होगी कि प्रतिवादी पर तामील कर दी गई है भले ही अभिस्वीकृति खो गई है या इधर-उधर हो गई है या समन भेजने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त नहीं हुई है। उपनियम का यह भाग कठोर है क्योंकि यदि डाक कर्मचारी गलत पृष्ठांकन करता है तो इस नकारात्मक तथ्य को कि प्रतिवादी पर तामील नहीं हुई है साबित करने का भार प्रतिवादी पर होगा। डाक कर्मचारी द्वारा तामील की गई रिपोर्ट का उपबन्ध नहीं किया गया है जैसा कि उपनियम 17 में किया गया है।

(रेखांकित भाग की ओर ध्यान आकर्षित है)

4.9. **बम्बई तथा मद्रास के संशोधन**.—यह प्रतीत होता है कि सभवत: आदेश 5 के नियम 19 क के आज्ञापक उपबन्धों के कारण अनुभव की गई कठिनाई के कारण ही बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों ने निम्नलिखित रूप में कुछ संशोधन किए हैं :—

(बम्बई)—आदेश 5 के नियम 19क के उपनियम (1) में,—(i) "करेगा" शब्द के स्थान पर "कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक का (1-10-83 से) लोप किया जाएगा। (मद्रास)—1976 के संशोधन अधिनियम संख्यांक 104 द्वारा पुर:स्थापित नियम 19क के उपनियम (2) में "घोषणा करेगा" शब्दों के स्थान पर "घोषणा कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे और उपनियम (2) का परंतुक निरसित हो जाएगा। (देखिए आर ओ सी सं० 6454/77 (2-एफ) एस आर सी (43, 80) तारीख 5-12-80)

4.10. **विवाह विषयक मामलों में एकपक्षीय डिक्री**.—रजिस्ट्री डाक से तामील के प्रश्न पर विचार करते समय यह उल्लेख करना संभवत: उचित होगा कि इस प्रश्न पर विनिश्चयों में विरोध है कि विवाह विषयक मामले में पारित की गई एकपक्षीय डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के उपबन्धों को लागू करके अपास्त किया जा सकता है या नहीं। अधिकांश उच्च न्यायालयों ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है 4/11

तथापि, गुवाहाटी के एक मामले में एक एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया है।4/12 ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामले में यह माना गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 का नियम 13 लागू होगा। किंतु उस मामले में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई थी क्योंकि अपील दाखिल की जा चुकी थी। एक बार किसी एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील दाखिल कर दिए जाने पर आदेश 9 का नियम 13 लागू नहीं हो सकता। 4/13

मैसूर उच्च न्यायालय ने भी विवाह विषयक कार्यवाहियों में आदेश 9 के नियम 13 के उपबन्धों को लागू किया है।4/14

कटनिक के एक मामले में पति द्वारा अभिप्राप्त की गई तलाक की एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अर्जी चलाने योग्य थी यद्यपि पति की मृत्यु हो चुकी थी। उच्च न्यायालय ने इस ओर इंगित किया कि यदि पत्नी के अधिकार को अस्वीकार किया जाता है तो उसकी प्रास्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और उसके संपत्ति विषयक अधिकारों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा।4/15

अध्याय 5

अधिकारिता के बाहर निवास करने वाला प्रतिवादी

5.1. **समन निकालने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर प्रतिवादी का प्रश्न**.—एक विस्तृत विषय जिस पर सुविधापूर्वक चर्चा की जा सकती है उस प्रतिवादी की स्थिति से संबंधित है जो समन निकालने

वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है। इस समय, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 21 में इस विषय की बाबत निम्नलिखित प्रकार से उपबन्ध किया गया है :—

"21 **जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारित के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील.**—समन को वह न्यायालय, जिसने उसे निकाला है, अपने अधिकारियों में से किसी द्वारा या डाक द्वारा राज्य के भीतर या बाहर ऐसे किसी न्यायालय को भेज सकेगा (जो उच्च न्यायालय न हो) जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां प्रतिवदी निवास करता है।"

5.2. अधिकारिता के बाहर के स्थनों की बाबत अनिनिश्चितता-सिफारिशें

(क) पहला प्रश्न यह है कि 1976 में अंत:स्थापित किए गए आदेश 5 के नियम 19क को (जो वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के लिए समन साथ साथ निकालने का उपबन्ध करता है) उस मामले में लागू किया जा सकता है या नहीं जहां प्रतिवादी अधिकारिता के बाहर है, अर्थात्, उस मामले में जिसके लिए उपबन्ध आदेश 5 के नियम 21 में है। आदेश 5 का नियम 21 यह निदेश देता है कि वह न्यायालय जिसे समन नियम 21 (या नियम 22) के अधीन भेजा जाता है इस प्रकार से अग्रसर होगा मानो समन उसी न्यायालय द्वारा निकाला गया था और इस प्रकार आदेश 5 के नियम 9 से लेकर नियम 19 तक के उपबन्ध आकृष्ट होंगे। किंतु इस प्रश्न पर ही आगे विवाद खड़ा हो सकता है। यह वाछनीय है कि इस अवसर का उपयोग इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त यह भी सुविधापूर्ण होगा कि न्यायालय की अधिकारिता की सीमा के पास स्थित स्थानों को नियम 9 के अधीन ही लाया जाता है। यदि न्यायालय के किसी ऐसे व्यक्ति पर समन तामील करने चाहता है जो न्यायालय 'ख' की अधिकारिता में ग्राम *** में है जो कि न्यायालय 'क' की अधिकारिता की सीमा के अत्यन्त निकट है तो न्यायालय 'क' के कर्मचारिवृन्द द्वारा तामील की अनुज्ञा देना अधिक सुविधाजनक होगा बजाए इसके कि तामील का काम न्यायालय 'ख' पर छोड़ा जाए।

(ग) अत: हम सिफारिश करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 21 का उचित रूप से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि इस पैरा के उप-पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित बातों को सम्मिलित किया जा सके।

अध्याय 6

सिफारिशें

6.1. **संभव समाधान.**—हमें यह ज्ञात है कि इस रिपोर्ट में जिस समस्या पर विचार किया गया है उसका संपूर्ण रूप से समाधान निकालना संभव नहीं है और यह संभव है कि वर्तमान विधि के स्थान पर यदि कोई समाधान संभव समझा जा सकता है तो उसके कारण कुछ विवाद पैदा हो सकते हैं। फिर भी, हम रिपोर्ट किए गए अनगिनत ऐसे मामलों को अनदेखा नहीं कर सकते जिनमें बेईमान डाकिए की सहायता से किए गए धोखे के परिणामस्वरूप अथवा किसी इमानदार डाकिए की ओर से वस्तु को किसी गलत व्यक्ति को निविदत करने में चूक के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है जहां उच्च न्यायालयों ने उसका अनुतोष न किया हो तथा इसी प्रकार के ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं जिनके बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं है क्योंकि वे उच्च न्यायालय तक नहीं पहुंचे हैं या जिनमें विधि का कोई प्रश्न नहीं उठा है। हमारे मतानुसार, यह वांछनीय है कि किसी संशोधन पर विचार किया जाए और हमें यह प्रतीत होता है कि सबसे अच्छा मार्ग यह होगा कि आदेश 5 के नियम 19क में इस समय सम्मिलित आज्ञापक उपबन्ध के स्थान पर ऐसा उपबन्ध रखा जाए जो न्यायालय को स्वविवेकानुसार यह घोषणा करने की स्वतंत्रता दे कि इंकारी को तामील के समतुल्य माना जाए या नहीं।

यह सच है कि यदि न्यायालय को इस विषय में विवेक का प्रयोग करने दिया जाता है अर्थात् यह विवेकाधिकार कि डाक कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई तामील को स्वीकार करने में इंकारी के आधार पर प्रतिवादी

पर तामील की उपधारणा की जाए या न की जाए, तब भी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। किंतु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि यदि उपधारणा आज्ञापक है (जैसा कि इस समय है) तो कठिनाई उत्पन्न होने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं।

6.2. सिफारिश.—ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके प्रकाश में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश करते हैं जिनके ब्यौरे आगे के पैराओं में दिए गए हैं।

6.3. **आदेश 5 के नियम 19क का संशोधन किया जाए.**—हमारी पहली सिफारिश यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के नियम 19क का संशोधन किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य से कि चूक या भूल के कारण अथवा बेईमान डाकिए की सहायता से किए गए धोखे के कारण, जिसे इंकारी की बाबत पृष्ठांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो, मुकदमे के किसी पक्षकार को अन्याय से बचाया जाए, इस समय जो आज्ञापक घोषणा है उसके स्थान पर रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील की बाबत घोषणा को विवेक के आधार पर छोड़ा जाए। इस प्रकार पुनरीक्षित नियम का रूप निम्न प्रकार से होगा :—

"19क (1) न्यायालय नियम 9 से नियम 19 तक में उपबंधित रीति से तामील करने के लिए समन निकालने के साथ ही साथ यह भी निदेश देगा कि समन की तामील प्रतिवादी को, या तामिल का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को, संबोधित रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर की जाए जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता मामूली तौर से निवास करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है :

परंतु जहां मामले की परिस्थितियों में न्यायालय इसे अनावश्यक समझता है वहां इस उपनियम की कोई बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अपील करने के लिए समन निकाले।

(2) जहां न्यायालय प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहां न्यायालय उसे ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस प्राप्त करता है जो डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्यित है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने उसे ग्रहण करने से इंकार कर दिया था तो समन निकालने वाला न्यायालय डाकिए की ओर से जिसने वस्तु को गलत व्यक्ति को निविदत्त कर दिया हो, इंकारी की बाबत पृष्ठांकन पर विचार करते समय, किए गए धोखे या भूल का संभावना को ध्यान में रखते हुए, यह घोषणा कर सकेगा कि विधिपूर्ण तामील कर दी गई है।"

6.4. **आदेश 5, नियम 21; का संशोधन किया जाए.**—हमारी दूसरी सिफारिश यह है कि संहिता के आदेश 5 के नियम 21 के स्थान पर एक पुनरीक्षित नियम, जैसा कि इसमें इसके पश्चात् दर्शाया गया है, अध्याय 5 के पैरा 5.2 में विनिर्दिष्ट कारणों से रखा जाए, अर्थात् :—

अधिकारिता के बाहर स्थानों की बाबत अनिश्चितता-सिफारिशें

(क) पहला प्रश्न यह है कि 1976 में अंत:स्थापित किए गए आदेश 5 के नियम 19 क को (जो वैयक्तिक तामील के अतिरिक्त डाक द्वारा तामील के लिए समन साथ साथ निकालने का उपबन्ध करता है) उस मामले में लागू किया जा सकता है, अर्थात् उस मामले में जिसके लिए आदेश 5 के नियम 21 में उपबन्ध है। आदेश 5 का नियम 21 यह निदेश देता है कि वह न्यायालय जिसे समन नियम 21 (या नियम 22) के अधीन भेजा जाता है इस प्रकार से अग्रसर होगा मानो समन उसी न्यायालय द्वारा निकाला गया था और इस प्रकार आदेश 5 के नियम 9 से लेकर नियम 19 तक के उपबंध आकृष्ट होंगे। किंतु इस प्रश्न पर ही आगे विवाद खड़ा हो सकता है। यह वांछनीय है कि इस अवसर का उपयोग इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त यह भी सुविधापूर्ण होगा कि यदि न्यायालय की अधिकारिता की सीमा के पास स्थित स्थानों को नियम 9 के अधीन ही लाया जाता है। यदि न्यायालय 'क' किसी ऐसे व्यक्ति पर समन तामील करना चाहता है जो न्यायालय 'ख' की अधिकारिता में ग्राम *** में है जो कि न्यायालय 'क' की अधिकारिता की सीमा के अत्यन्त निकट है तो न्यायालय 'क' के कर्मचारिवृन्द द्वारा तामील की अनुज्ञा देना अधिक सुविधाजनक होगा बजाए इसके कि तामील का काम न्यायालय 'ख' पर छोड़ा जाए।

(ग) अतः हम सिफारिश करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 21 का उचित रूप से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि इस पैरा के उपपैरा (क) और (ख) में उल्लिखित बातों को सम्मिलित किया जा सके।

सिफारिश किए गए रूप में पुनरीक्षित आदेश 5, नियम 21. जब प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है तब समन की तामील .—यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास नहीं करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है और उस अधिकारिता के भीतर उसका ऐसा कोई अभिकर्ता निवास नहीं करता है जो समन की तामील ग्रहण करने के लिए सशक्त है किंतु वह स्वयं या ऐसा अभिकर्ता किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, चाहे वह राज्य के भीतर है या बाहर तो इस आदेश के नियम 19क के उपबन्ध, यथासंभव, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि न्यायालय के अधिकारी द्वारा तामील किए जाने के लिए आशयित समन को वह न्यायालय, जिसने उसे निकाला है, उस न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रतिवादी निवास करता है या उसका ऐसा अभिकर्ता है, भेज सकेगा तो वह न्यायालय जिसे वह इस प्रकार भेजा जाता है तब इस आदेश के नियम 23 में उपबन्धित के अनुसार कार्यवाही करेगा :—

परंतु जहां प्रतिवादी राज्य के भीतर ऐसे स्थान पर निवास करता है या उसका ऐसा अभिकर्ता है जो उस स्थान से, जहां समन निकालने वाला न्यायालय अवस्थित है, 25 किलोमीटर से अनधिक दूरी पर है, अथवा न्यायालय की अधिकारिता की बाहरी सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर है तो इस नियम में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाएगा अपितु समन उस न्यायालय द्वारा, जिसने उसे निकाला है, समुचित अधिकारी को, उसके द्वारा या उसके किसी अधीनस्थ द्वारा इस आदेश के नियम 9 से नियम 19 (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) अधिकथित रूप से, परिदत्त किए जा सकेंगे या भेजे जा सकेंगे।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

एम० की० ठक्कर

अध्यक्ष

पी० एम० बक्शी

सदस्य

वाई वी अंजनुलु

सदस्य

महेश चंद्र

सदस्य

जी वी जी कृष्णमूर्ति

सदस्य-सचिव

नई दिल्ली, तारीख 19 अप्रैल, 1991

MGIPCBB J S2—6 M of LJ/S/ND/93—27-10-93—